राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 869वी बैठक दिनांक 15.02.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 869वी बैठक दिनांक 15.02.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :—

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमा माहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P-2/53/2024	1(c)	सागर एवं रायसेन	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	**स्पष्टीकरण**
2.	P-2/610/2024	1(c)	खण्डवा	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	**स्पष्टीकरण**
3.	9876/2023	1(c)	धार	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	**स्पष्टीकरण**

1. **Case No P-2/53/2024:**Prior Environment Clearance for Jera Medium Irrigation Project is proposed to construct dam on Dhasan river near Village Jera in Tehsil Jaisinagar of District Sagar. Maximum height of the dam is 20.01 M and gross storage of the dam 24.78 MCM. Project will serve irrigation in CCA 5400 hectare irrigation in 22 nos. villages of District Sagar and 1 village of District Raisen. Submergence area of the project spread over Sagar and Raisen districts by Project Administrator, Jera Medium Irrigation Project, Department of Irrigation, Office of the Project Director Bina Project Management Unit, Water Resources Department, Sagar (M.P.)- 474001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **768वी बैठक दिनांक 28.01.2025** में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 01 से 23 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :—

1. परियोजना में 25.2694 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है और 25.2694 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण–I वन मंजूरी, MoEF&CC द्वारा पत्र दिनांक 31/10/2024 (प्रस्ताव संख्या:FP/MP/HYD/IRRIG/430492/2023) द्वारा प्रदान की गई है का विवरण SEAC समिति के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है परंतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण करने पर पाया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत

(आर. उमा महेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सरकार द्वारा जारी चरण–1 की वन मंजूरी (State-1 Forest Clearance)परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक से उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त की जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

2. **Case No. – P2/610/2024:** Prior Environment Clearance for Khandwa Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 53,330 ha. of CCA in Khandwa district. Total 84 Villages of Khandwa & Pandhana Tehsils of Khandwa District (M.P.) by Shri SANDEEP SHARMA, Executive Engineer, Narmada Development Division No. 19 Bhikangaon, Khargone(M.P.), 451331.. ToR Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects, SIA/MP/RIV/518314/2024.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **768वी बैठक दिनांक 28.01.2025** में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 24 से 41 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना में 20.0 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है और 20.0 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण–I वन मंजूरी, MoEF&CC द्वारा पत्र दिनांक 21.01.2025 (प्रस्ताव संख्याः FP/MP/HYD/IRRIG/469105/2023) द्वारा प्रदान की गई है का विवरण SEAC समिति के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है परंतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण करने पर पाया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी चरण–1 की वन मंजूरी (State-1 Forest Clearance) परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक से उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक परिवेश पोर्टल पर राज्य सरकार से परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति का दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक से उक्त परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति का दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ईआईए प्रतिवेदन के चेप्टर–11 के बिन्दु क्र. 11.2.9 में उल्लेखित है कि "During field surveys 223 plant species belong to 106 families were recorded from the study area" की Species wise विस्तृत सूची संलग्न नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त जानकारी की विस्तृत सूची परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 से 3 तक की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

(आर. उमामहेश्वरी)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

3. **Case No 9876/2023:** Prior Environment Clearance for Kukshi Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 75,000 Ha. of CCA in Dhar district. (115 villages of Kukshi Tehsil, 98 villages of Gandwani tehsil, 01 village of Dahi Tehsil and 33 villages of Manawar Tehsil,District-Dhar) (MP) by Chief Engineer, NVDA Lower Narmada Pojects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar Indore (MP), Email:cenvda.alirajpur@gmail.com Mob: 9826358396 SIA/MP/RIV/518356/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **768वी बैठक दिनांक 28.01.2025** में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 42 से 62 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना में 220.44 हेक्टेयर वन भूमि (152.873 हेक्टेयर आरक्षित वन और 67.567 हेक्टेयर संरक्षित वन) से पूरी की जाएगी। डायवर्सन के लिए प्रस्ताव संदर्भ संख्या FP/MP/HYD/IRRIG/447025/2023 के माध्यम से आवेदित है का विवरण SEAC समिति के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी चरण–1 की वन मंजूरी (State-1 Forest Clearance) प्राप्त कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक परिवेश पोर्टल पर राज्य सरकार से परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति का दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक से उक्त परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति का दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 से 2 तक की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष